## महालेखाकार कार्योलय (लेखापरीक्षा-II), केरल, तिरुवनतपुरम OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.मले (लेप II)/एपीसीसी/ 2-3/2025-26/ No. AG(Au-II)/APCC/2-3/2025-26/ दिनांक /Date: 08-12-2025

## परिपत्र संख्या/Circular No. 35

विषय: ए.पी.सी. कक्ष को अर्धवार्षिक कार्य स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब।

Sub: Delay in submission of half-yearly State of Work Report to APC Cell

एपीसी कक्ष द्वारा जारी परिपत्र संख्या 19 दिनांक 13.06.2025 के अनुसार, सभी संबंधित अनुभागों से अर्ध-वार्षिक कार्य स्थिति रिपोर्ट (द्वितीय छमाही) प्राप्त होने की नियत तिथि 10 अक्टूबर 2025 थी, और समेकित रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2025 तक महालेखाकार को प्रस्तुत की जानी थी। हालाँकि, अनुभागों से विवरण प्राप्त होने में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप समेकित रिपोर्ट निर्धारित नियत तिथि के भीतर महालेखाकार को प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

महालेखाकार ने निर्देश दिया है कि सभी अनुभाग अर्ध-वार्षिक कार्य स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में निर्धारित समय-सीमा में किसी भी प्रकार की देरी या विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा।

As per circular no. 19 dated. 13.06.2025 issued by APC Cell, the due date for receipt of half-yearly State of Work Report (2nd half) from all concerned sections was 10th October 2025, and the consolidated report was due to be submitted to the Accountant General by 15th October 2025. However, there was delay in receipt of details from the sections, which resulted in the consolidated report not being submitted to the Accountant General within the prescribed due date.

The Accountant General has directed that all sections shall ensure strict compliance with the timelines prescribed for submission of the half-yearly State of Work Report. Any delay or deviation from the stipulated timeline in future will be viewed seriously.

(महालेखाकार के 28.11.2025 के आदेशानुसार) (Vide orders of Accountant General dated.28.11.2025)

> Digitally signed by ANISH D Date: 08-12-2025

16:37:35

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा. व एएमजी-I) Senior Deputy Accountant General (Admin &AMG )

## प्रतिलिपि/Copy to:

- 1.वरिष्ठ उप महालेखाकार/ एएमजी I, एएमजी II, एएमजी III Sr. Deputy Accountant General/ AMG I, AMG III
- 2. महालेखाकार के सचिव Secretary to Accountant General
- 3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ एएमजी I, एएमजी II, एएमजी III Sr. Audit Officer/ AMG I, AMG II, AMG III,
- 4.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ रिपोर्ट (एएमजी I, सीओपीयू, एएमजी III, एसएफ) Sr. Audit Officer/ Report (AMG I, COPU, AMG III, SF)
- 5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ एफएयू (I, II, III, IV, V) Sr. Audit Officer/ FAU (I, II, III, IV, V)
- 6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन, नकद, लेखा परीक्षा प्रभाव कक्ष Sr. Audit Officer/ ADMN, CASH, AUDIT IMPACT CELL